Phon/Fax No.- 05368-244067
E-mail- dfocsmnagar@gmail.com

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अमेठी वन प्रभाग।

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश)

पत्रांक 1091 /14—1 अमेठी दिनांक 25, नवम्बर, 2021

सेवा में,

प्रबन्धक,
टोरेन्ट गैस प्रा0लि0,
विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

विषय— जनपद अमेठी के अन्तर्गत लखनऊ—सुलतानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग— 731(पुराना एन.एच. संख्या—56) के किमी0 64.000 से 77.420 के मध्य दायी पटरी पर प्रस्तावित टोरेन्ट गैस प्राईवेट लि0 द्वारा भूमिगत गैस पाइप लाइन बिछाने सम्बन्धी कार्य, जिसमें बाधक 558 वृक्ष तथा 0.6689 हे0 प्रभावित संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः— भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) की पत्र सं0—8 बी/यू.पी./08/234/2021/एफ.सी./548 दिनांक 24—11—2021 एंव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक—1609/11—सी—एफ.पी./यू.पी./पाईपलाइन/52656/2020 दिनांक 24—11—2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो आपको एंव इस कार्यालय को पृष्ठांकित है, जिसके द्वारा टोरेन्ट गैस प्रा0लि0 द्वारा लखनऊ—सुलतानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सं0—731 (पुराना सं0—56) के किमी0 64.000 से 77.420 के मध्य दायी पटरी पर प्रस्तावित भूमिगत गैस पाईप लाइन में प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.6689 हे0 के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 558 पौधों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति कतिपय शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गई है।

अतः उक्त विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्र के अनुपालन में शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि ई—पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से निम्न प्रकार आप द्वारा जमा की जानी अपेक्षित है—:

क0 सं0	धनराशि का मद	कुल क्षे0 हे0 में	दर प्रति हे0 रू0 में	कुल धनराशि रू0 में	किसके पक्ष में धनराशि जमा किया जाना है	भुगतान का शहर
1	2	3	4	5	6	7
1	संरक्षित वन भूमि का नेट प्रेजेन्ट वैल्यू (एन0पी0वी0)	0.6689	626000	418731.00	आनलाइन चालान के माध्यम से कैम्पा के खाता में कालम—5 में अंकित धनराशि जमा करें।	नई दिल्ली
2	प्रभावित संरक्षित वन भूमि के क्षति0 वृक्षा0 (5580 पौधों के रोपण व 10 वर्षो तक अनु0 सहित) की धनराशि	2.79	—	680000.00	आनलाइन चालान के माध्यम से कैम्पा के खाता में कालम—5 में अंकित धनराशि जमा करें।	नई दिल्ली

(क्रमशः पेज..........2 पर)

Scanned with CamScanner

यह मूल्य अंतरिम है। शासन द्वारा अन्तिम दरें तय किए जाने पर अतिरिक्त धनराशि ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से देय होगी। संदर्भित पत्र द्वारा अपेक्षित शेष अन्य बिन्दुओं की अनुपालन आख्या मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0 1609/11–सी–एफ.पी./यू.पी./पाईपलाइन/52656/2020 दिनांक 24–11–2021 में दिये गये निर्देशानुसार निर्धारित प्रारूप में बिन्दुवार भरकर (पत्र संलग्न है) एवं उपरोक्त धनराशि जमा किए जाने की पावती रसीद सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे अग्रेतर कार्यवाही की जा सके। उक्त मॉग–पत्र का विस्तृत विवरण संलग्न है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(एम0एन0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
अमेठी वन प्रभाग

पत्रांक /उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि– निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, (कैम्पा) उ0प्र0, लखनऊ।

2– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।

3– वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,सा0वा0, सरयू वृत्त, उ0प्र0, अयोध्या।

(एम0एन0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
अमेठी वन प्रभाग

Scanned with CamScanner